

राजस्थान सरकार  
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग  
(ग्रामीण विकास, अनुभाग-5)

क्रमांक एफ 27 (36) ग्रावि-5/सां./District Information/2018-19

दिनांक 06 मार्च, 2019

मुख्य कार्यकारी अधिकारी,  
जिला परिषद, समस्त, राजस्थान।

विषय :- प्रधानमंत्री आवास योजना – ग्रामीण की स्थाई वरीयता सूची में अतिरिक्त पात्र लाभार्थियों की पहचान कर पात्र चिन्हित परिवारों का विवरण "आवास प्लस ऐप" पर अपलोड किये जाने के क्रम में।

प्रसंग :- विभागीय समसंख्यक पत्र दिनांक 13.02.19, 28.02.19 एवं 05.03.2019।

महोदय,


उपरोक्त विषयान्तर्गत ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार से प्राप्त पत्रांक J-11060/14/2017-RH(M&T) Dated 8-02-2019 के द्वारा स्थाई वरीयता सूची में शामिल होने से वंचित पात्र परिवारों का विवरण "आवास प्लस ऐप" पर दर्ज किये जाने की अवधि दिनांक 30.11.18 से बढ़ा कर दिनांक 7.3.19 या आदर्श आचार संहिता लागू होने तक निर्धारित की गई है।

विभागीय प्रासांगिक पत्र दिनांक 13.02.2019 द्वारा निर्धारित प्रक्रिया अनुसार प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण की वरीयता सूची में पात्र व्यक्तियों को नाम जोड़े जाने हेतु निर्देशित किया गया था। इस क्रम में जिला स्तरीय क्रियान्वयन, निगरानी, समन्वयन एवं अपीलेंट कमेटी से अनुमोदित प्राप्त सूची का मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में आयोजित राज्य स्तरीय क्रियान्वयन, निगरानी एवं समन्वयन समिति की बैठक दिनांक 05.03.2019 में अनुमोदन प्राप्त हो गया है।

विभागीय प्रासांगिक पत्र दिनांक 05.03.2019 द्वारा चिन्हित पात्र परिवारों की सूचना मय जियो-टैगिंग "आवास प्लस ऐप" पर ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा निर्धारित अंतिम दिनांक 07.03.2019 से पूर्व ही अपलोड किया जाने हेतु निर्देशित किया गया था।


उक्त क्रम में पुनः निवेदन है कि संलग्न सूची अनुसार अपलोडिंग से शेष 7,92,335 चिन्हित पात्र परिवारों की सूचना मय जियो-टैगिंग "आवास प्लस ऐप" पर दिनांक 07.03.2019 तक अपलोड किये जाने हेतु संबंधित को निर्देशित करने का श्रम करावें।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार

भवदीय  
  
(जयपाल सिंह मेड़तिया)  
स्टेट नोडल अधिकारी—PMAY-G

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, मा. मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री कार्यालय, जयपुर।
2. विशिष्ट सहायक, मा. उप मुख्यमंत्री, जयपुर।
3. वरिष्ठ उप सचिव, माननीय मुख्य सचिव, राजस्थान, जयपुर।
4. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रावि एवं परावि, राजस्थान, जयपुर।
5. जिला कलक्टर, जिला समस्त।

  
स्टेट नोडल अधिकारी—PMAY-G

वंचित पात्र परिवारों का जिलेवार विवरण

2019-2020

क्र.सं.	जिले का नाम	"आवास प्लस ऐप" पर दि. 6.3.19 तक अपलोड परिवारों की संख्या	"आवास प्लस ऐप" पर अपलोड से शेष परिवारों की संख्या
1	2	3	4
1	JODHPUR	1199	63745
2	BARAN	1529	57102
3	KARAU LI	14673	46716
4	NAG AUR	1899	43984
5	JHALAWAR	4070	43409
6	BIKANER	3440	41537
7	BARMER	7024	40372
8	BANSWARA	15055	39984
9	UDAIPUR	10286	36044
10	BHILWARA	443	34343
11	TONK	3431	34230
12	JAISALMER	20659	33019
13	AJMER	64	25664
14	JALORE	-183	21680
15	DUNGARPUR	7351	21028
16	JAIPUR	1088	18912
17	PRATAPGARH	5618	18712
18	SAWAI MADHOPUR	611	18278
19	BUNDI	-4926	17507
20	SRI GANGANAGAR	-3341	16274
21	CHITTORGARH	-274	16030
22	KOTA	-2539	15280
23	ALWAR	1373	14952
24	RAJSAMAND	4242	14240
25	HANUMANGARH	1325	13633
26	SIROHI	-781	13096
27	BHARATPUR	73	11461
28	PALI	1679	9662
29	DAUSA	376	4831
30	DHOLPUR	1170	2789
31	SIKAR	1162	1678
32	JHUNJHUNU	184	1099
33	CHURU	4449	1044
<b>Total</b>		102429	792335